

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजस.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

- | | | |
|--|------|--|
| 1. कन्हैया पुत्र नाथू
जाति मीणा निवासी
उगावास तह. बस्सी। | बनाम | 1. नाथूराम पुत्र पांचूराम
निवासी उगावास तह. बस्सी।
2. रामसिंह पुत्र जगदीश
3. छोटूराम पुत्र जगदीश
जाति मीणा निवासी उगावास हाल
आबाद सूमेल तह. आमेर।
4. नरसी देवी बेवा जगदीश
जाति मीणा निवासी उगावास हाल
आबाद सूमेल तह. आमेर।
5. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया
शाखा बांसखोह तह. बस्सी।
6. सब-रजिस्ट्रार बस्सी।
7. तहसीलदार बस्सी। |
|--|------|--|

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा


मुकदमा नम्बर 43/11

दिनांक 08.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट पाटन में पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत पाटन ने की है। तहसीलदार बस्सी से कुरैजात व नक्शे प्राप्त हुए जो शामिल मिसल है। पक्षकारान को तहसीलदार बस्सी से प्राप्त कुरैजात व नक्शे पर सुना गया। वादी व प्रतिवादी द्वारा उक्त कुरैजात व नक्शे के संबंध में अपनी सहमति प्रकट कर कुरैजात अनुसार दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया। उपस्थित मौतबिरान रो वाद प्ररत भूमि के संबंध में जानकारी ली गयी।

पत्रावली का अवलोकन व पक्षकारान द्वारा कुरैजात पर सहमति जाहिर करने एवं उपस्थित मौतबिरान से उक्त वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने तथा लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार तहसीलदार बस्सी से प्राप्त कुरैजात व नक्शे का अनुमोदन किया जा कर वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी ख.नं. 51 रकबा 4 बिस्वा, ख.नं. 52/1 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, ख.नं. 52/2 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा कुल कित्ता 3 कुल रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा ग्राम उगावास पटवार हल्का पाटन जिला जयपुर में से ख.नं 51, 52/2 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा खातेदार नाथूराम पुत्र पांचूराम कौम मीणा सा.देह राहिन बी.ओ.आई. शाखा बांसखोह मूर्तहीन के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 52/1/2 व 52/2/3 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा खातेदार कन्हैया पुत्र नाथू कौम मीणा सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 52/1 व 52/2/4 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा खातेदार रामसिंह, छोटूराम पि. जगदीश, नरसी देवी पत्नि स्व. जगदीश हि.ब. कौम मीणा सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 52/2/1 कुल कित्ता 1 कुल रकबा 0.01 बिस्वा खातेदार कन्हैया पुत्र नाथू हि. 1/2 रामसिंह, छोटूराम, पि. जगदीश, नरसीदेवी पत्नि स्व. जगदीश हि. 1/2 कोम मीणा सा.देह. के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 52/2/2 व 52/1/1 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.04 बिस्वा खातेदार कन्हैया पुत्र नाथू हि. 1/2 रामसिंह, छोटूराम, पि. जगदीश, नरसीदेवी पत्नि स्व. जगदीश हि. 1/2 कोम मीणा सा.देह. के हिस्से में रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। कुरैजात व नक्शे बाद अनुमोदन तहसीलदार बस्सी को भेजा जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दस्तार हो।

आज दिनांक 08.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट पाटन में मजमे आम में सुना गया।


सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं
कामी जिला मजिस्ट्रेट
बस्सी

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

- | | | |
|--|------|--|
| 1. कन्हैया पुत्र नाथू
जाति मीणा निवासी
उगावास तह. बस्सी। | बनाम | 1. नाथूराम पुत्र पांचूराम
निवासी उगावास तह. बस्सी।
2. रामसिंह पुत्र जगदीश
3. छोटूराम पुत्र जगदीश
जाति मीणा निवासी उगावास हाल
आबाद सूमेल तह. आमेर।
4. नरसी देवी बेवा जगदीश
जाति मीणा निवासी उगावास हाल
आबाद सूमेल तह. आमेर।
5. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया
शाखा बांसखोह तह. बस्सी।
6. सब-रजिस्ट्रार बस्सी।
7. तहसीलदार बस्सी। |
|--|------|--|

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 43/11

दिनांक 08.05.2018


वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी ख.नं. 51 रकबा 4 बिस्वा, ख.नं. 52/1 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, ख.नं. 52/2 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा ग्राम उगावास पटवार हल्का पाटन जिला जयपुर में से ख.नं. 51, 52/2 कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा खातेदार नाथूराम पुत्र पांचूराम कौम मीणा सा.देह राहिन बी.ओ.आई. शाखा बांसखोह मूर्तहीन के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 52/1/2 व 52/2/3 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा खातेदार कन्हैया पुत्र नाथू कौम मीणा सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 52/1 व 52/2/4 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा खातेदार रामसिंह, छोटूराम पि. जगदीश, नरसी देवी पत्नि स्व. जगदीश हि.ब. कौम मीणा सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 52/2/1 कुल किता 1 कुल रकबा 0.01 बिस्वा खातेदार कन्हैया पुत्र नाथू हि. 1/2 रामसिंह, छोटूराम, पि. जगदीश, नरसीदेवी पत्नि स्व. जगदीश हि. 1/2 कोम मीणा सा.देह. के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 52/2/2 व 52/1/1 कुल किता 2 कुल रकबा 0.04 बिस्वा खातेदार कन्हैया पुत्र नाथू डि. 1/2 रामसिंह, छोटूराम, पि. जगदीश, नरसीदेवी पत्नि स्व. जगदीश हि. 1/2 कोम मीणा सा. देह. के हिस्से में रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। कुरैजात व नक्शे बाद अनुमोदन तहसीलदार बस्सी को भेजा जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कन हं। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।.....निजी.....मुबलिक.....बाबत.....

.....इस मुकदमें का मय सूद वगैरह.....
फीसदी सालाना आज को तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 08.05.2018 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त.....

ओहदा.....


सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	मुद्दायलह	रुपये
स्टाम्प अर्जी		स्टाम्प अर्जी	
दावा		दावा	
स्टाम्प		स्टाम्प	
बकालतनामा		बकालतनामा	
स्टाम्प वहत		स्टाम्प वहत	

could not

सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
--	--	--	--	--	--

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

End

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर
बस्सी